


:: कार्यालय निदेशक , माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ::

—: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्त सेवाएँ (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा-2016 में चयनित होने पर निम्नांकित स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश क्रम में इस विभाग द्वारा कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	नाम प्राध्यापक मय पदस्थापन स्थान (श्री/श्रीमती/सुश्री)	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
1	प्रियंका – बालिका उमावि छापोली, झुंझुनूं	राजस्थान सरकार वित्त (राजस्व) विभाग के आदेशांक प. 1(9)वित्त/राजस्व/2013-14, 2014-15 जयपुर दिनांक 30.06.2019
2	ओम प्रकाश – राउमावि दुण्डा, बाडमेर	राजस्थान सरकार कार्मिक (क-4) विभाग के आदेशांक प. 1(3)कार्मिक/क-4/2019 जयपुर दिनांक 30.06.2019

क्रम संख्या 01 पर अंकित प्राध्यापक का वर्तमान धारित पद पर स्थाईरूप से कार्यरत होने के कारण नियमानुसार पदाधिकार रहेगा। साथ ही संबंधित संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि विभागीय जांच लंबित/प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें।



(नथमल डिडेल)

आईएस

निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

दिनांक:- 01.07.2019

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-6/रावि/कार्यमुक्ति/2018

1. संयुक्त शासन सचिव कार्मिक/वित्त(राजस्व)/सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. उप शासन सचिव सचिव शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
5. संयुक्त निदेशक प्रशासन, कार्यालय हाजा को वरिष्ठता अनुभाग में रिकॉर्ड अपडेशन हेतु।
6. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
7. संबंधित मण्डल उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा।
9. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक।
10. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

:: कार्यालय निदेशक , माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ::

-: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा-2016 में चयनित होने पर निम्नांकित स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश क्रम में इस विभाग द्वारा कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	नाम प्राध्यापक मय पदस्थापन स्थान (श्री/श्रीमती/सुश्री)	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
1	राकेश कुमार – राउमावि बरवाली, हनुमानगढ़	राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेशांक एफ2(7)खा.वि./स्था.प्र./2017 जयपुर दिनांक 30.06.2019
2	कैलाश मीणा – राउमावि सांभरिया बस्सी, जयपुर	राजस्थान सरकार राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेशांक राम/प-2(13)रातस/बैच-29/2019/6121 दिनांक 01.07.2019

विभाग छोड़ने के बाद वर्तमान धारित पद पर स्थाईरूप से कार्यरत होने के कारण नियमानुसार पदाधिकार रहेगा। साथ ही संबंधित संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि विभागीय जांच लंबित/प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें।



(नथमल डिडेल)


आईएएस
निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-6/रावि/कार्यमुक्ति/2018

दिनांक:- 01.07.2019

1. संयुक्त शासन सचिव कार्मिक/वित्त(राजस्व)/सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निबन्धक, राजस्व मण्डल राज., अजमेर।
4. प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. उप शासन सचिव सचिव शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. अनुमाग अधिकारी कम्प्युटर अनुमाग को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
7. संयुक्त निदेशक प्रशासन, कार्यालय हाजा को वरिष्ठता अनुमाग में रिकॉर्ड अपडेशन हेतु।
8. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. संबंधित मण्डल उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
10. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा।
11. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक।
12. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित प्राध्यापक, हिन्दी (स्कूल शिक्षा) को विदेश यात्रा पर जाने की स्वीकृति - निम्नांकित शर्तों के आधार पर दी जाती है -

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन (राउमावि)	विदेश यात्रा का कारण मय अवधि	विदेश का नाम जहा यात्रा करनी है
1	श्रीमती सतारा कादरी, बरसिंगसर - बीकानेर	20.07.19 से 12.09.19 कुल 55 दिन (पचपन दिवस) हज करने के लिए	मक्का मदिना

1. विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
2. विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि राज्य सरकार की अनुमति बिना स्वीकृति नहीं होगी तथा निर्धारित तथा निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी.सी.ए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. विदेश से भेजा गया "त्यागपत्र" स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4. विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जायेगा एवं न ही राजकीय स्रोतों से इन्हें कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
5. उक्त कर्मचारी सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश को प्रस्थान करेंगे। अवकाश समाप्ति के तत्काल पश्चात संस्था में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से देनी होगी। एक बार में स्वीकृत अवकाश को आगे बढ़ाया नहीं जायेगा।
6. विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
7. विदेश प्रवास के दौरान जहाँ-जहाँ पर रहेंगे उनके पते इस विभाग को तुरन्त अवगत करावें।
8. विदेश प्रवास के दौरान किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
9. यात्रा का समस्त खर्चा स्वयं के द्वारा वहन किया जावेगा।
10. (अ) सक्षम अधिकारी द्वारा विदेश जाने हेतु जब भी अवकाश स्वीकृत किया जावे उससे पूर्व यह पुष्टि आवश्यक रूप से कर लें कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।
(ब) कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक वाद लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
(स) कर्मचारी के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का कार्य प्रभावित नहीं हो।
(द) कर्मचारी द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों को हस्तान्तरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।



(नथमल डिडेल)

आइ.ए.एस

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक - शिविरा-मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/विदेश यात्रा-अनुज्ञा/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा,
- 2 सिस्टम एनेलिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु
- 3 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
- 4 संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि,
- 5 संबंधित कार्मिक
- 6 निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

दिनांक - 01/07/19

:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ::

-: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित आर.ए.एस भर्ती परीक्षा-2016 में चयनित होने पर निम्नांकित स्कूल व्याख्याता हिन्दी को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश के क्रम में इस विभाग द्वारा कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	नाम प्राध्यापक मय पदस्थापन स्थान (श्री/श्रीमती/सुश्री)	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
1	राजेश कुमार, नेवा की ढाणी-बाप, जोधपुर	कार्मिक विभाग का आदेश क्रमांक-प.1(3)कार्मिक/क-4/2019, जयपुर दिनांक-30.06.19
2	डॉ० योगेश नरेनिया, रा.सिन्धी उमावि खारीकुई, अजमेर	वित्त (राजस्व) विभाग का आदेश क्रमांक-प.1(9)वित्त/ राजस्व/ 2013-14, 2014-15 जयपुर दिनांक-30.06.19
3	कल्याणी शर्मा, बा० गजसिंहपुर श्रीगंगानगर	वित्त (राजस्व) विभाग का आदेश क्रमांक-प.1(9)वित्त/ राजस्व/ 2013-14, 2014-15 जयपुर दिनांक-30.06.19

संबंधित संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें।



(नथमल डिडेल)


आईएस
निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/कार्यमुक्ति/2018

दिनांक:- 01/07/19

- 1.संयुक्त शासन सचिव कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग राजस्थान, जयपुर
- 3.उप शासन सचिव सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 4.अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ
- 5.संयुक्त निदेशक प्रशासन, कार्यालय हाजा को वरिष्ठता अनुभाग में रिकॉर्ड अपडेशन हेतु।
- 6.संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
7. अनुभाग अधिकारी संस्थापन ए.की/वरिष्ठता
- 7.संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
- 8.रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर